



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. :- 9-PBB351/2018-CHA

दिनांक: 18 जून 2018

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ़।

विषय:- Diversion of 0.0876 ha. of forest land (Protected forest) in favour of M/s Essar Oil Ltd for construction of approach road to their proposed retail outlet along the Old SH-22 (new NH-53-A), at Village Gill on Amritsar-Tanda road, Khasra no. 21/7(4-14), 21/8/2(6-15), 21/12(2-18), CH.19.967 (LHS), Tehsil and District Amritsar, Punjab (Online Proposal No. FP/PB/Road/29542/2017) regarding

संदर्भ:- अतिरिक्त सचिव, पंजाब, वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/46/2018/301 दिनांक 29.05.2018.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0876 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़/पोल काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 05 और पोलों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी।

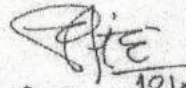
iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

- iv. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- v. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
- vi. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए।
- vii. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।
- viii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंधुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
- ix. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई तुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- xiii. कूड़ा कंकड़ निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xiv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xvi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा 2-के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त 1980, अधिनियम संरक्षण वन, की धारा 2-के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केंद्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. यह स्वीकृति माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेश संख्या OA 161 व 162/2016 के अंतिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है।

भवदीय,


(सी०डी० सिंह) 18/06/2018
अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला अमृतसर, पंजाब।
4. M/s Essar Oil Ltd. village Mallanwali (Gumtala) P.O. SJS Avenue, Airport road Amritsar, Punjab.

बेज नं० 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

ਨੰ: FCA/1980/46/2018/1087-89

ਮਿਤੀ: 15/06/2018

ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ OA No. 161 and OA No. 162 of 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 19.05.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:-

1. ਵਣ ਪਾਲ ਬਿਸਤ ਸਰਕਲ, ਜਲੰਧਰ
2. ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
3. M/s. Essar Oil Ltd., Village Mallanwali (Gumtala) P.O. SJS Avenue, Air Port Road, Amritsar, Punjab

Addl. PCCF (FC) -cum- Nodal Officer (FCA),
Department of Forests & Wildlife
Preservation, Punjab.

ਫਾਇਲ ਨੰਬਰ: 3075 ਮਿਤੀ: 26/6/18

ਪਿਥਾ ਦੀ ਨਕਲ M/s Essar oil, Plot No. F-33, 3rd Floor Phase-VIII, Industrial Area, Mohali (SAS Nagar), Punjab - 160071 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ Impriental Approval ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- ① CA ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਕਮ 106648/-
- ② MPV ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਕਮ 54838/-
- ③ Addl. CA ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਕਮ 20280/-

ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ CA, MPV ਅਤੇ Addl. CA ਦੀ ਹਾਜ਼ੀ Moef & web Portal <http://forests clearance.nic.in> or <http://forests clearance.nic.in> ਜਾਮੀਨ ਤੇ online ਜਾਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਿਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਥਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜਾਮੀਨ ਦੇ Adjoining land ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਿਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਾਮੀਨ ਅਤੇ ਪਿਥਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨੰ: (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਮੀਨ ਹੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।